न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 05/2022

उनवान :-

1. रायसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी डावडी त0 भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :-श्री योगेश शर्मा प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 30.1.23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम डावड़ी के खाता सं0 210/221 के खसरा सं0 252, 630/1 की कुल 29.4120है0 व रोही मौजा डावडी के ही खाता सं0 364/290 के खसरा सं0 439, 442 की 4.9060है0 की संयुक्त खातेदारी में प्रार्थी का नाम रामसिंह पुत्र अमरसिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम रामसिंह पुत्र अमरसिंह दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम रायसिंह पुत्र अमरसिंह है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में सही नाम रायसिंह पुत्र अमरसिंह ही दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम गलत राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी का सही प्रकार से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रही है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को उक्त वाद भूमि विरासतन अपने पिता से प्राप्त हुई है। प्रार्थी का नाम विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय उक्त दोनों खातो में रामसिंह पुत्र अमरसिंह दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेज में नाम रायसिंह पुत्र अमरसिंह है। अतः प्रार्थी का सही नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात यथा पहचान पत्र , आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पारिवारिक राशन कार्ड तथा अंकतालिका, आईडी कार्ड भारतीय सेना आदि में

सही नाम रायसिंह पुत्र अमरसिंह ही दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा ग्राम डावड़ी के खाता सं0 210/221 के खसरा सं0 252, 630/1 की कुल 29.4120है0 व रोही मौजा डावड़ी के ही खाता सं0 364/290 के खसरा सं0 439, 442 की 4.9060है0 की संयुक्त खातेदारी में प्रार्थी का नाम रामसिंह पुत्र अमरसिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रार्थी के नाम रामसिंह पुत्र अमरसिंह जगह प्रार्थी का सही नाम रायसिंह पुत्र अमरसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि रामसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम से हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम रामसिंह पुत्र अमरसिंह ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 30.1.23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़